न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2022/188

पन्नालाल आत्मज चतुर्भुज जाति मीणा निवासी ग्राम कुँवारती तहसील एवं जिला बून्दी राज.।

–अपीलान्ट

बनाम

माधो आत्मज नंदा मीणा कुवारंती(मृतक)

1. श्रीकिशन आत्मज माधो जाति मीणा निवासी ग्राम कुंवारती तहसील एवं जिला बून्दी राज.।
2. रमेश आत्मज माधो जाति मीणा निवासी ग्राम कुंवारती तहसील व जिला बून्दी राज.।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री शिव तोषनीवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से।
(2). श्री राजकुमार गौतम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 05.09.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक), बून्दी जिला बून्दी द्वारा वाद सं0 18/दावा/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 182, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम कुंवारती पटवार क्षेत्र दौलाड़ा तहसील बूंदी में जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 252 रकबा 1 बिस्वा, 254 रकबा 4 बिस्वा, 328 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, 331 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 332 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, 341 रकबा 5 बिस्वा, 408 रकबा 4 बिस्वा, 575 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 815 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 791 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 744 रकबा 7 बीघा कुल किता 11 कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा विस्थित है। इस भूमि के खातेदार स्वामी

वादीगण है। ग्राम कुंवारती में जमाबंदी सम्वत् 2048 से 51 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 327 नीमडी वाला कुआं नामक रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन चाह विस्थित है। वादपत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित भूमि के खातेदार के रूप में माधो आत्मज नंदा हिस्सा 1/2, छीतर, पन्ना पिसरान चतुर्भुज मुस. रामचंद्री बेवा चतुर्भुज हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन कुंवारती दर्ज हो रहा है। माधों आ. नंदा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी कम 1 है। छीतर पुत्र चतुर्भुज का निधन लगभग 4–5 वर्ष पूर्व हो गया है। किन्तु उसका नाम पन्ना पुत्र चतुर्भुज व मुस. रामचंद्री बेवा चतुर्भुज के साथ लिखा हुआ है। छीतर व पन्ना व रामचंद्री के परिवार का सदस्त था वह लाऔलाद मरा है। उसके वारिसान पन्ना व रामचंद्री है जो इस वाद में वादी कम 1 व 2 है। इस प्रकार खाते में छीतर का नाम गलत लिखा गया है। वादीगण अधिकारी है कि यह घोषणा करावें कि छीतर का नाम भूमि खसरा संख्या 327 नीमडी वाला कुआं में से हटवाये। उसका नाम हटाये जाने के बाद माधो आ. नंदा का 1/2 भाग व पन्ना पुत्र चतुर्भुज व मु. रामचंद्री बेवा चतुर्भुज दोनो का सम्मिलित रूप से 1/2 भाग इस खसरा संख्या में होगा। ऐसी घोषणा कराया जाना और तदनुसार इन्द्राज करवाया जाना वादी के हितों के लिये और रिकॉर्ड को वस्तुस्थिति के अनुसार बनाया जाना आवश्यक है। ग्राम कुंवारती में जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 336 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 330 रकबा 3 बीघा झींझा वाला, 333 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, नीमडी वाला, 790 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 793 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा विस्थित है। इस भूमि का खातेदार स्वामी माधो आ. नंदा मीणा प्रतिवादी कम 1 है। भूमि खसरा संख्या 328 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, 331 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, 332 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा, वादीगण के खातेदारी स्वामित्व की भूमि है इस भूमि के पास की भूमि खसरा संख्या 330 रकबा 3 बीघा झींझा वाला 336 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व 333 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा नीमडी वाला पास–पास विस्थित है, एक–दुसरे खेतों की मेरे मिली हुई है। नक्शा ट्रेस में इन भूमियों की स्थिति को बतलाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 आपस में पिता पुत्र है, वे वादी से अधिक ताकतवर व पृकृति से आक्रामक है। प्रतिवादीगण ने आषाढ़ सम्वत् 2051 में प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 328 की लगभग 15 बिस्वा भूमि जो भूमि खसरा नम्बर 330 से लगवां है पर जबरन कब्जा कर लिया और मेर को आगे सरका दिया। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा संख्या 332 की दक्षिण की ओर की लगभग 15 बिस्वा भूमि नाजायज कब्जा कर लिया वादी ने प्रतिवादी से कहा कि वे नाजायज कब्जा नहीं करे किन्तु वे नहीं माने। वे कहते है कि हम तो हमारी भूमि पर ही काबिज है। वादीगण चाहे तो पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान करवा ले। वादी कम 1 ने श्रीमान तहसीलदार साहब बून्दी के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने के लिए दरख्वास्त प्रस्तुत की। इस पर दिनांक 30.11.1994 को श्रीमान कानूनगो साहब माटुन्दा व पटवारी जी मोतबीरान के साथ सीमाज्ञान कराने के लिए

उक्त खेतो पर पहुचें तो नाप किये जाने पर पाया गया कि भूमि खसरा नम्बर 330 में मिलाई हुई पाई गई और इसी प्रकार खसरा नम्बर 332 में से 15 बिस्वा भूमि पर भी माधो आत्मज नन्दा मीणा प्रतिवादी कम 1 का कब्जा पाया गया। इन लोगो को अर्थात प्रतिवादीगण को सीमांकन के समय मौके पर बुलाया गया था। किन्तु इनमें से श्रीकिशन प्रतिवादी ही वहां उपस्थित आया। माधो आत्मज नन्दा उपस्थिति नहीं आया । किशन ने भी मौके की फर्द पर दस्तखत करने से मना कर दिया। दिनांक 30.11.1994 को सीमाज्ञान कराये जाने के बाद वादी ने अपनी भूमि पर कब्जा कर लिया किन्तु दूसरे दिन तीनो प्रतिवादीगण ने चरण कम 7 में बताये अनुसार भूमि खसरा संख्या 328 व 332 की भूमि पर वापिस कब्जा कर लिया। वादी ने उन्हें मना किया किन्तु वे नहीं माने। और उन्होने धमकी दी कि वे वादी की और भूमि पर भी कब्जा करेंगें। प्रतिवादीगण यदि विवादित आराजी पर दौराने वाद कब्जा कर लें, उससे बेदखल करवाकर वापिस कब्जा प्राप्त करने के वादीगण अधिकारी है। वादी अधिकारी है कि विवादित आराजी के जितने भी भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे उससे उन्हें बेदखल करवाकर वापिस कब्जा प्राप्त करें और आषाढ़ सम्वत् 2051 से जब तक भूमि पर कब्जा वापिस नहीं दिला दिया जाये उस तिथि तक 2000 रूपये बीघा से प्रतिवादीगण से हर्जाना स्वरूप राशि प्राप्त करे। भूमि खसरा संख्या 327 नीमड़ी वाला कुआ रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन चाह है। यह भूमि और कुआं वादी व प्रतिवादीगण का शामलाती है। दोनो के संयुक्त स्वामित्व का है। इसका बंटवारा भी नहीं हो सकता है। संयुक्त स्वामित्व का होने के कारण वादी व प्रतिवादी दोनो ही इस कुए व इसकी भूमि को उपयोग व उपभोग में लेने के समान रूप से अधिकारी है। किन्तु प्रतिवादीगण वादी को भूमि खसरा संख्या 327 काम में लेने पर लड़ाई झगड़ा करते है। बैल आदि बांधने में बाधा उत्पन्न करते है। जबकि उन्हे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे वादी को भूमि खसरा संख्या 327 रकबा 16 बिस्वा को उपयोग उपभोग में लेने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा विवादित आराजी के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं करे। अन्त में भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 16 बिस्वा वाके ग्राम कुंवारती की जमाबंदी में छीतर, पन्ना पिसरान चतुर्भुज व मु. रामचन्द्री बेवा चतुर्भुज हिस्सा 1/2 में छीतर का निधन हो जाने के कारण उसका नाम निरस्त किये जाने व शेष 1/2 भाग पन्ना पुत्र चतुर्भुज व मु. रामचन्द्री बेवा चतुर्भुज की खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तथा भूमि खसरा सख्या 328 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 332 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के कमश 15–15 बिस्वा भाग जिस पर उन्होने कब्जा किया हुआ है बेदखल किया जाकर वापिस वादी को दिलायो जाने का निवेदन किया। साथ ही यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें बेदखल किया जाकर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे और अतिक्रमित काल का आषाढ़ सम्वत् 2051 से जब

तक कब्जा वापिस नहीं दिला दिया जावे उस तिथि तक 2000/– रूपये प्रति बीघा की दर से हर्जाना स्वरूप राशि दिलाई जाने का निवेदन किया। खसरा संख्या 327 रकबा 16 बिस्वा के उपयोग एवं उपभोग में वादी को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचावे साथ ही यह भी निवेदन किया कि खसरा संख्या 328 व 332 की भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जे को हटाये जाने के बाद पुनः कब्जा नहीं करे।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 को जारी सम्मन नोटिस रजिस्टर्ड एडी को एक माह से अधिक समय हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 उपस्थित नहीं होने से तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. सर्वप्रथम उभयपक्षकारान के विद्वान अधिक्ताओं की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 में अंकित कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.10.2016 को पारित किया गया। नकल लेने हेतु आवेदन दिनांक 07.11.2016 को किया गया । नकल दिनांक 24.11.2016 को प्राप्त हुई। नकल लेने हेतु आवेदन तिथि नकल प्राप्ति की तिथि तक का समय मुजरा दिये जाने पर अपील अन्तर्गत अवधि माना जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अपनी बहस के समर्थन मे विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2015(4) डी.एन.जे.(राज.) पेज 1393 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने व

अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के प्रार्थना–पत्र धारा 5 में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है तथा अपीलांट को प्रत्येक दिवस की देरी का पर्याप्त कारण साबित करना होगा। अपीलांट ने जानबूझकर अपील पेश करने में देरी की है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने न्यायिक दृष्टांत 1960 ए. आई.आर.(एस.सी.) पेज 260, 1972 ए.आई.आर.(राज.) पेज 161 प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 का है तथा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 16.12.2016 को प्रस्तुत की गई। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने दिनांक 07.11.2016 को नकल लेने का आवेदन प्रस्तुत करने का कथन किया है तथा यह नकल उन्हें दिनांक 24.11.2016 को प्राप्तु हुई। अपील प्रस्तुत करने में लगभग 11 दिवस का विलम्ब हुआ है तथा अपीलांट को नकल प्राप्त करने में लगभग 16 दिवस का समय लगा। प्रकरण में गुणावगुण पर पक्षकारों के मध्य हक अधिकारों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्धारण किया जाना है। अतः हमारे मत मे हस्तगत प्रकरण में लिमिटेशन के बिन्दु पर उदारता का रूख अपनाते हुए न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री कानून के विधि मान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया है, केवल मात्र प्रयास के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। वाद प्रस्तुति के समय विवादित भूमि का खातेदार अपीलांट/वादी होना एवं विवादित भूमि पर कब्जा भी अपीलांट/वादी का होना प्रमाणित होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर कि "वादी/अपीलांट के खाते में विवादित भूमि किस प्रकार व किस आदेश से आई

है, वादी/अपीलांट प्रमाणित करने में असफल रहा है।" उक्त वाद खारिज कर उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि सन् 1956 से ही प्रस्तुति के समय जीवित प्रतिवादी माधो की जानकारी में अपीलांट/वादी के पूर्वज चर्तुभुज के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। यदि अपीलांट/वादी के पूर्वज चर्तुभुज के खाते में अंकित भूमियो के सबंध में किसी प्रकार के कोई अधिकार माधो में निहित भी थे तो वह भी अवधि बाधित होकर सदैव के लिऐ समाप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति मे भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट/वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वयं के एवं दो स्वतंत्र गवाहो के सशपथ बयान करवाये है और दस्तावेज पेश किये है। जिसके विपरीत रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र जवाब दावा प्रस्तुत किया है। जवाब दावे के समर्थन में शपथ पूर्वक साक्ष्य हेतु न तो स्वयं उपस्थित हुये है और न ही स्वतंत्र गवाहो को पेश किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज कर उक्त निर्णय पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 328, 331, 332 ग्राम कुँवारती के बावत् अपीलांट/वादी के विरूद्ध धारा 183 रा. टि. एक्ट के तहत् अधिकार घोषणा का वाद श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, बून्दी के यहाँ प्रस्तुत किया था जो दिनांक 21/11/2005 को खारिज हो गया है जिसकी आज तक कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। यदि रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादी का विवादित भूमि पर कोई अधिकार भी थे वह भी अवधि बाधित होकर सदैव के लिऐ समाप्त हो चुके है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किये जाने में कानूनी भूल की है। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तकनीकी त्रुटि के कारण खसरा संख्या 348 के स्थान पर खसरा संख्या 341 एवं खसरा संख्या 615 के स्थान पर खसरा संख्या 815 अंकित हो गये है, किन्तु अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में सही खसरा संख्या स्पष्ट रूप से अंकित हो रही है। प्रकरण में मुझे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह भूमि मेरे नाम कैसे आई? मैं भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार हूँ। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय में तनकी संख्या 1 का गलत विश्लेषण विवेचन करते हुए कूननन गलत निर्णय पारित किया है। मैने वाद की चरण संख्या 6 में कब्जे के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं हुई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2015(4) डी.एन.जे. (राज.) पेज 1393 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 04/10/2016 निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के स्व0 श्री नन्दा आ0 पन्ना मीणा

निवासी कुंवारती के खाते की है। तथा वादी अपीलांट के पिता स्वर्गीय चतरभुज प्रतिवादीगण के पिता स्व0 श्री माधो जी की बुआ श्रीमती साराबाई बेवा श्री शोबक्ष का लड़का था। चतरभुज जी की स्थिति अत्यन्त खराब होने से नन्दा जी व प्रतिवादीगण के पिता स्व. माधो जी ने उक्त भूमि को चतरभुज जी को बतौर लाईसेंस काश्त करने के लिये सम्वत् 2015 में दे दी थी और यह कहा था कि इस भूमि में से जो भी चतरभुज समझे मुनाफा चतरभुज श्री नन्दा व माधो को अदा करता रहे। इस प्रकार चतरभुज उक्त भूमि को नन्दा व माधों की अनुमति से लाईसेन्सों के रूप में उक्त भूमि को मृत्युपर्यन्त काश्त करता रहा व उपज का मुनाफा नंदा जी को व माधो जी को देता रहा। जमाबंदी सम्वत् 2000 से 2005 से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर के खातेदार नन्दा वल्द पन्ना है। अतः माधो के पिता नंदा इस भूमि के खातेदार थे। वादी अपीलांट यह बताने में असफल रहे कि हमने कब व किस तारीख को प्रश्नगत भूमि का कब्जा किया। वस्तुतः यह भूमि वादी की नहीं है। जिरह से भी स्पष्ट है कि वादी अपने पूर्वजों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं रखता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपने वादपत्र में अंकित कथनो को साबित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 1960 ए.आई.आर.(एस.सी.) पेज 260, 1972 ए.आई.आर. (राज) पेज 161 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलाट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की खाता संख्या 24 में दर्ज खसरा नम्बर 217, 219, 348, 474/1, 512, 657, 657 किता 7 कुल रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा भूमि चतरभुज वल्द शोबक्ष कौम मीणा सा.देह खा0 दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में आगे वि. वि. में "नामान्तरकरण संख्या 61 से खाता संख्या 73 से आया किता 3 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा" अंकित है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 के अनुसार ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की खाता संख्या 73 में दर्ज आराजी संख्या 284, 285, 286, 287, 657/3, 657/5 कुल किता 7 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि माधो वल्द नन्दा मीणा सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी के विशेष विवरण (कॉलम संख्या 16) में "नामा. संख्या 61 से खाता संख्या 24 में गया" तथा "नामा. 61 से माधो वल्द नन्दा व चतुर्भुज वल्द शोबक्ष कौम मीणा सा.देह हि.ब. खाता 24 में गया" अंकित है। Ex.1

नक्शा ट्रेस ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी का है। Ex.2 जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की है जिसके अनुसार खाता संख्या 114 में दर्ज खसरा नम्बर 326, 330, 333, 790, 793 किता 5 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि माधो वल्द नन्दा कौम मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। Ex.3 सत्यप्रति मौका पर्चा सीमा जानकारी ग्राम कुंवारती की है। शुद्ध प्रतिलिपी मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से 2047 की है जिसके अनुसार ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की गत खसरा संख्या 287 मि., 284 मि., 287 मि. 286 मि. के हाल खसरा नम्बर कमशः 331, 332, 328 बने है। शुद्ध प्रतिलिपी जमाबंदी पंचाशाला सम्वत् 2007 से 2010 की है जिसके अनुसार ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की खसरा नम्बर 284, 285, 286, 287, 657/3, 657/5 किता 6 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि नन्दा वल्द पन्ना कौम मीणा सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। शुद्ध प्रतिलिपी जमाबंदी पंचाशाला सम्वत् 2000 से 2005 की है जिसके अनुसार ग्राम कुंवारती तहसील बून्दी की खसरा नम्बर 284, 285, 286, 287, 657/3, 657/5 किता 6 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि नन्दा वल्द पन्ना कौम मीणा सा.देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। Ex.4 व Ex.5 जमाबंदी की सही प्रतिलिपीयॉ है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने से अपठनीय है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि को लेकर एक अन्य वाद 74/2000 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 माधो आत्मज नन्दा ने प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 28.05.2002 को न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी जिला बून्दी द्वारा किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 28.05.2002 के विरूद्ध हस्तगत अपील के रेस्पोडेन्ट के पूर्वज माधो आत्मज नन्दा की ओर से अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें अपील संख्या 47/2002 का निर्णय दिनांक 30.04.2005 न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा किया गया। निर्णय दिनांक 30.04.2005 का कियात्मक भाग इस प्रकार है, "उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील संख्या 47/02 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा परीक्षण न्यायालय का प्रकरण संख्या 74/2000 में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.5.02 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय इस दावे को पक्षकारान के बीच चल रहे दूसरे दावे में विधि अन्तर्गत कन्सोलिडेट कर कन्सोलिडेट तनकी कायम कर दोनो दावो को कन्सोलिडेटेड निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 6.6.2002 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हो।" राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में दोनो वाद समेकित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वाद संख्या 362/दावा/2002 की आदेशिका दिनांक 09.01.2007 में अंकन है कि, "पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप. है। वाद स0 112/दावा/05 बउनवान

माधो बनाम पन्ना को इस वाद के साथ सम्मिलित किये जाने का आदेश हो चुका है अतः वाद स0 112/दावा/05 को इस वाद के साथ consolidate किया जाता है। पत्रावली संयुक्त तनकीयात हेतु दिनांक 27/2/07 को पेश हो।" इसी प्रकार वाद संख्या 112/दावा/05 की आदेशिका दिनांक 09.01.2007 में अंकन है कि, "पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप0 है। बहस सुनी गई। पत्रावली में राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 का अवलोकन किया। उक्त निर्णयानुसार इस वाद को वाद स0 362/दावा/02 बउनवान पन्नालाल V/S माधो वगैरह में समेकित करने का आदेश है। अतः पत्रावली के वाद स0 362/दावा/02 के साथ समेकित किये जाने का आदेश दिया जाता है।" इससे स्पष्ट है कि वाद संख्या 112/दावा/05 (74/दावा/2000) तथा वाद संख्या 362/दावा/02 (12/1995) को समेकित करते हुए दोनो वाद का निर्णय करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 112/दावा/05 (74/दावा/2000) का कोई विवरण/विवेचन अपने निर्णय दिनांक 04.10.2016 में नहीं दिया है। इससे यह भ्रांति उत्पन्न होती है कि वाद संख्या 112/दावा/2005 (74/दावा/2000) को वाद संख्या 362/दावा/2002 (12/1995) के साथ समेकित करने के पश्चात् वाद संख्या 112/दावा/2005 (74/दावा/2000) का निर्णय स्पष्ट रूप से हुआ अथवा नहीं? इस प्रश्न का कोई उत्तर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2016 में नहीं है। अतः हमारे मत में राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 के प्रकाश में वाद संख्या 112/दावा/2005 (74/दावा/2000) को विवेचित कर उस पर भी स्पष्ट फाइंडिंग एवं निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में करना चाहिए था। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.10.2016 में जिस प्रकार तनकी संख्या 1 का निर्णय किया है, वह भ्रांति एवं विरोधाभास उत्पन्न करता हुआ प्रतीत होता है, क्या वादी खातेदार को पुनः खातेदारी घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है?। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादी अपीलांट प्रश्नगत खसरा नम्बर 328 एवं खसरा नम्बर 332 के अभिलिखित खातेदार है। तनकी के विवेचन के निर्णय से प्रतीत होता है कि जैसे वादी ने खसरा नम्बर 328 तथा खसरा नम्बर 332 के सम्बंध में घोषणा का अनुतोष चाहा हो। जबकि वादी द्वारा हस्तगत वाद में खसरा नम्बर 328 व 332 के सम्बंध में इस प्रकार का अनुतोष चाहा था, "प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादपत्र की चरण कम 1 में वर्णित भूमि अथवा इसके किसी अंश पर कोई कब्जा नहीं करे भूमि खसरा संख्या 328 व भूमि खसरा संख्या 332 की भूमि पर जो उन्होने जबरन कब्जा किया हुआ है उससे बेदखल करने के बाद पुनः उस पर कब्जा नहीं करे।" इस निर्णय से ऐसी स्थिति उत्पन्न होना प्रतीत होता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 328 के 15 बिस्वा तथा

विवादित भूमि खसरा नम्बर 332 के 15 बिस्वा राजस्व अभिलेख में तो वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगी तथा उन पर आंशिक रूप से (15 बिस्वा भूमि पर) कब्जा–काश्त प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का रहेगा। निर्णय में तनकी संख्या 6 का निष्कर्ष इस प्रकार अंकित है कि, "भूमि खसरा संख्या 326 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, 330 रकबा 3 बीघा एवं 333 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा कुल 12 बीघा 13 बिस्वा ग्राम कुंवारती जो जमाबंदी सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार माधो आ0 नन्दा मीना के खाते की है, इस पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर आमादा हो ऐसे तथ्य वादी किशन व रमेश प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।" इस प्रकार तनकी संख्या 6 व तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष को यदि जोड़कर देखा जाए तो खसरा नम्बर 328 व 332 की खातेदारी किसकी मानी जाएगी? यह बड़ा प्रश्न अनुत्तरित ही रहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाबदावे में भी प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई क्लेम अथवा काउंटर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 328 एवं खसरा नम्बर 332 उनकी खातेदारी की है। यदि प्रतिवादीगण प्रश्नगत खसरा नम्बर 328 व 332 को स्वयं की खातेदारी का कथन करते है तो उन्हें यह साक्ष्य से साबित करना होगा। जबकि वादीगण वर्तमान में प्रश्नगत खसरा नम्बर 328 व 332 के अभिलिखित खातेदार दर्ज है। तथा खातेदार होने के कारण उन्होने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली का अनुतोष चाहा है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय ने विरचित तनकीयात तथा प्रस्तुत साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा रिकॉर्ड की स्थिति को समझने में भूल की है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में विशिष्ट विवाद्यक बिन्दु विरचित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उक्त विवाद्यक बिन्दुओं पर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। साथ ही इस निर्णय के पैरा संख्या 9 में किए गए विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 की पालना अपने निर्णय दिनांक 04.10.2016 में नहीं किया जिससे अस्पष्टता तथा भ्रांति वाद संख्या 112/दावा/2005 (74/दावा/2000) के निर्णय के बारे में उत्पन्न होती है। अतः वाद संख्या 112/दावा/2005 (74/दावा/2000) का स्पष्ट निष्कर्ष व निर्णय भी प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.10.2016 में होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय में वाद का एक महत्वपूर्ण विवाद्यक बिन्दु खसरा नम्बर 328 व खसरा नम्बर 332 की भूमि के कुछ भाग पर अतिक्रमण को लेकर था। हमारे मत में इस सम्बंध में तहसीलदार से स्पष्ट रूप से मौके की वर्तमान स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त

कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होता। अतः प्रकरण में तहसीलदार बून्दी से विवादित भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट ली जानी चाहिए ताकि मौके पर कौन पक्षकार किस प्रकार काबिज–काश्त है, यह स्पष्ट हो जाता। इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवाद्यक बिन्दुओं की रचना की है उसके विवाद्यक बिन्दु संख्या 1 को जिस प्रकार निर्णित किया है, उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि मूलवाद खातेदारी घोषणा का नहीं अपितु खसरा नम्बर 328 व खसरा नम्बर 332 पर प्रतिवादी के अतिक्रमण को लेकर था। खसरा नम्बर 327 के सम्बंध में वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है, प्रतिवादीगण को जर्ये निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा संख्या 327 रकबा 16 बिस्वा विस्थित ग्राम कुंवारती के उपयोग, उपभोग में वादीगण को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचावे, जिस प्रकार वे इस भूमि को उपयोग, उपभोग में ले रहे है उसी प्रकार वादीगण को भी उपयोग, उपभोग में लेने में बाधा नहीं डाले।" परन्तु उक्त अनुतोष पर कोई स्पीकिंग आदेश नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय से खसरा संख्या 327 की स्थिति अस्पष्ट ही रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इस प्रश्नगत निर्णय से खसरा संख्या 328, 332 व 327 की स्थिति को लेकर पक्षकारों के मध्य भ्रांति रहेगी तथा स्पष्टता का अभाव रहेगा। रिकॉर्ड तथा मौके की स्थिति में भी साम्यता स्थापित नहीं हो पाएगी जिससे पक्षकारान के मध्य सदैव विवाद की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

11. इस निर्णय के पैरा नम्बर 9 व 10 में किए गए विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य कोई भ्रांति, अस्पष्टता उत्पन्न न हो तथा प्रकरण का अंतिम रूप से स्पष्टता से निस्तारण हो, इस हेतु प्रकरण में निम्नलिखित कार्यवाही की जानी उचित होगी–(1) राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 30.04.2005 में दिए गए निर्देशों के क्रम में वाद संख्या 362/दावा/2002(12/95) पर भी स्पष्ट निर्णय व निष्कर्ष पारित किया जावे।(2) सम्बंधित तहसीलदार से विवादित खसरा नम्बर 328, 332 व 327 की मौके की स्थिति स्पष्ट करने हेतु मौके की स्पष्ट रिपोर्ट लेकर अंतिम निष्कर्ष पारित किया जावे।(3) खसरा नम्बर 328, 332 व 327 की सही स्थिति स्पष्ट करने हेतु तथा वाद के अंतिम रूप से निस्तारण हेतु निम्न विवाद्यक बिन्दुओं पर पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित किया जाए–(i) आया प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 328 व 332 में हक, अधिकार निहित है। तथा प्रतिवादीगण का यदि खसरा नम्बर 328 व खसरा नम्बर 332 की भूमि के कुछ हिस्से पर यदि कब्जा है तो वह कब्जा विधि अनुसार सही है। –जिम्मे प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण

(ii) आया खसरा नम्बर 328 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 332 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि के कुछ भाग पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण अतिक्रमी है। यदि प्रतिवादीगण अतिक्रमी है तो वादीगण को प्रतिवादीगण को

बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है।–जिम्मे वादीगण/अपीलांट

(iii) आया वादीगण/अपीलांट खसरा नम्बर 327 रकबा 17 बिस्वा भूमि में छीतर की मृत्यु के बाद छीतर के हिस्से की भूमि को स्वयं के पक्ष में घोषित करवाने के अधिकारी है। –जिम्मे वादीगण/अपीलांट

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 18/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.10.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह इस निर्णय के पैरा संख्या 11 में अंकित निर्देशों की पालना करते हुए तथा पैरा संख्या 11 में अंकित विवाद्यक बिन्दुओं पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर तथा उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 16.10.2023 को उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा